पटना में दिनांक–05 नवम्बर, 2014 बुधवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

1. अंजुमन तरक्की–ए–उर्दू, बिहार, पटना को नियमित कर्मियों के वेतनादि का भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में सहायक अनुदान–वेतन मद में उपबंधित कुल रू० 8.00 लाख (आठ लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 1. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

2. स्व० अब्दुल अहद, भूतपूर्व जनसेवक, ईख विकास, बेतिया के द्वारा नगर निकाय चुनाव–2007 में चुनाव कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति के पश्चात् चुनाव कार्य संपन्न करा कर बगहा से बेतिया लौटने के क्रम में बगहा रेलवे स्टेशन पर दिनांक–26.05.2007 को ट्रेन से गिरने के उपरांत दिनांक–01.06.2007 को पी०एम०सी०एच०, पटना में ईलाज के दौरान मृत्यु होने के कारण उनके आश्रित को विशेष परिस्थिति में अनुग्रह अनुदान के रूप में 10.00 लाख (दस लाख) रू० स्वीकृति किये जाने के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

3. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–20 पर दर्ज "अवध बनिया" जाति को विलोपित कर उसे अत्यंत पिछड़ें वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–124 पर स्वतंत्र रूप से शामिल करने के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

4. राज्य सरकार के द्वारा पथ तट तथा नहर तट की भूमि को सुरक्षित वन घोषित करने संबंधी अधिसूचना में वर्णित भूमि, वन क्षेत्र या बंजर भूमि है अथवा नहीं के जाँच करने के निमित्त, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति के गठन करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति। — 4. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

5. जल संसाधन विभाग के द्वारा वर्ष 2012 में संविदा के आधार पर नियोजित 114 कनीय अभियंता (असैनिक) का एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए पुनर्नियोजन। — 5. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

6. भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना को स्थापना व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 25,00,000/– (पच्चीस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 6. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

7. बिहार ललित कला अकादमी, पटना को वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्थापना व्यय हेतु ₹ 20,00,000/– (बीस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

8. बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना को वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्थापना व्यय हेतु ₹ 15,00,000/–(पन्द्रह लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 8. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. शेखपुरा जिलान्तर्गत घाटकुसुम्भा अंचल के मौजा–कोयला, थाना सं०–211, खाता सं०–69, खेसरा सं०–451, रकबा–1.00 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि 30,50,000/– (तीस लाख पचास हजार) रू० सलामी एवं सलामी का 2 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात 15,25,000/– (पन्द्रह लाख पच्चीस हजार) रू० पूँजीगत मूल्य सहित कुल–45,75,000/– (पैंतालीस लाख पचहत्तर हजार) रू० के भुगतान पर राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु साउथ बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण। — 9. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. शेखपुरा जिलान्तर्गत शेखोपुरसराय अंचल के मौजा–खुड़िया, थाना सं०–05, खाता सं०–30, खेसरा सं०–841, रकबा–5.94 1/3 एकड़ गैरमजरूआ आम कुम्हरी नदी की भूमि को 220/132 के०भी० गैस इन्सुलेटेड सब स्टेशन के निर्माण हेतु 22,28,738/–रू० (बाईस लाख अठाईस हजार सात सौ अड़तीस) सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत का पच्चीस गुणा अर्थात् 27,85,925/–रू० (सताईस लाख पचासी हजार नौ सौ पच्चीस रूपया) पूँजीकृत मूल्य सहित कुल–50,14,663/–रू० (पचास लाख चौदह हजार छः सौ तिरसठ रूपया) की अदायगी पर बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी भूमि हस्तान्तरण के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन कांटी के न्यू ऐस डैक के निर्माण हेतु मोतीपुर अंचल के मौजा–सेन्दुआरी पुरूषोत्तम, थाना नं०–212, खाता नं०–101 के विभिन्न खेसरा (सूची संलग्न) के कुल रकबा–3.66 एकड़ (तीन एकड़ छियासठ डिसमिल) गैरमजरूआ बिहार सरकार खास भूमि 10,98,000/–रूपये (दस लाख अन्ठानवे हजार रूपये) सलामी तथा सलामी के 5% व्यवसायिक लगान का 25 गुना अर्थात् 13,72,500/–रूपये (तेरह लाख बहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) पूंजीकृत मूल्य सहित कुल 24,70,500/–रूपये (चौबीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र के भुगतान पर राज्य योजनान्तर्गत कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर को स्थायी हस्तांतरण के संबंध में।

11. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. कटिहार जिले के अंचल–हसनगंज के मौजा–रामनगर वंशी के थाना नं०–09, खाता सं०–103 के विभिन्न खेसरा का कुल रकवा–3.25 एकड़ (अनुलग्नक–I) जिला परिषद् की भूमि कुल–6,50,000/–रू० के भुगतान पर हसनगंज प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय– सह–आवासीय भवन के निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग को हस्तान्तरण के संबंध में।

12. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

13. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन पे–बैंड ₹ 15,600–39,100/–, ग्रेड पे ₹ 7,600/–का लाभ देने के संबंध में।

13. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

14. एल०पी०ए०संख्या–348/2011 बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य बनाम संजीव कुमार चन्धरियावी एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में श्री संजीव कुमार चन्धरियावी, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गया के वेतन निर्धारण के संबंध में।

14. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी०संख्या 5328/2012 में दिनांक–02.07.2013 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रारंभिक विद्यालय के सहायक शिक्षक के पद पर नियमित वेतनमान पे–बैंड–2–ग्रेड पे–4200 में सहायक शिक्षक का पद सृजन कर योगदान की तिथि 25.11.2006 से श्री विश्वनाथ पाण्डेय की नियुक्ति एवं अन्तर वेतन राशि के भुगतान के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।

15. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)

16.	श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन पक्ष) के गैर–योजनान्तर्गत क्षेत्रीय उपनिदेशक (नियोजन) के कार्यालयों के लिए कुल (15) पन्द्रह अराजपत्रित कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	16. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

17.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 की धारा 17 (3) के तहत बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन 2014 की प्रति के साथ सरकार का व्याख्यात्मक संलेख बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के पटल पर रखने हेतु सरकार के व्याख्यात्मक संलेख की स्वीकृति के संबंध में।	17. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

18.	शेट्टी आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि देने के संबंध में।	18. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

19.	सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ सं॰–10032/2009 में दिनांक–18.03.2013 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति/प्रोन्नति की प्रभावी तिथि तय करने हेतु गठित माननीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री एस०एन०झा की अध्यक्षता में कार्य सम्पादन हेतु समिति के अध्यक्ष एवं अनुसचिवीय कर्मियों की मानदेय की स्वीकृति तथा अगस्त 2014 से जनवरी 2015 तक अवधि विस्तार प्रदान करने के संबंध में।	19. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20.	मधुबनी जिला के झंझारपुर अंचल के मौजा–कोठिया नारायणपुर, थाना संख्या–170, खाता संख्या–528 पुराना–1405 नया, खेसरा संख्या–1038 पुराना, 1311 नया, रकबा–0.52 एकड़ (बावन डिसमिल) किस्म गैरमजरूआ खास पोखर भिन्डा भूमि 15,60,000/–(पन्द्रह लाख साठ हजार रूपए) सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत का पच्चीस गुणा अर्थात 19,50,000/–(उन्नीस लाख पचास हजार रूपया) पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–35,10,000/–रू० (पैंतीस लाख दस हजार रूपया) का भुगतान राज्य योजना मद से करने पर नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, पटना को 33/11 के०भी०ए० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु स्थायी हस्तान्तरण।	20. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

21. कोशी आपदा से प्रभावित मधेपुरा, सुपौल एवं सहरसा जिलों के लिए बिहार कोशी बाढ़ समुत्थान परियोजना हेतु गठित बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी के सामान्य निकाय से नियम 32 (क) के तहत विकास आयुक्त, बिहार के स्थान पर मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार को अध्यक्ष नामित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति।	21. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

22. बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के प्रशासनिक तथा अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु कुल 68 (अड़सठ) पदाधिकारियों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों की स्वीकृति में राज्य सरकार की पूर्वानुमति संसूचित किये जाने के संबंध में।	22. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

23. सुपौल जिलान्तर्गत वीरपुर अनुमंडल स्थित जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित ललित नारायण अस्पताल में आई०पी०एच०एस० के अनुरूप 100 शैय्या वाले अनुमंडलीय अस्पताल के रूप में विकसित करने एवं गैर–योजनान्तर्गत 94 पदों के सृजन एवं वाह्य स्रोत से 15 पदों पर सेवा प्राप्त करने के संबंध में।	23. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

24. वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर–योजनान्तर्गत नालन्दा जिला में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कचहरिया, अंचल–थरथरी, जिला–नालन्दा हेतु 13 पदों के सृजन एवं वाह्य स्रोत से 3 पदों पर सेवा प्राप्त करने के संबंध में।	24. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

25. दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती अधिनियम, 2010 के अंतर्गत दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती स्कीम, 2014 में संशोधन।	25. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

26. ग्रामीण विकास विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संशोधित एवं पुनरीक्षित सर्वेक्षण के पश्चात् बढ़े हुए बी०पी०एल० परिवारों को इकोनोमिक दर पर खाद्यान्न का क्रय कर आपूर्ति करने एवं इस पर होने वाले कुल 130.33 (एक सौ तीस करोड़ तैंतीस लाख) रूपये की स्वीकृत योजना में व्यय हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।	26. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

27.	आधारभूत संरचना एवं लोक प्रयोजन के परियोजनाओं हेतु रैयतों से लीज पर भूमि प्राप्त करने के संबंध में नीति।	27.	**स्वीकृत।**